फैक्स/अति आवश्यक/आजही निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र-33/2016 दिनाँक: लखनऊ: 9 जून 2016

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-5/1-551-02 दिनाँक 17-07-1991 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो विभिन्न सेवा लाभ के लिए सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में निर्गत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र निर्गत होने के पश्चात उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-761/कार्मिक-1/1993 दिनाँक 30-06-1993, शासनादेश संख्या-13/22/1993-का-1-1994 दिनाँकः 25-03-1994 व शासनादेश संख्या-13/22/1993-का-1/2004 दिनाँक 27-10-2004 निर्गत करते हुये सेवा सम्बन्धी मामलों में सरकारी सेवकों की सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँक 17-07-1991 स्वतः ही निष्प्रभावी/समाप्त हो चुका है, जिसके बारे में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-पॉच-470(वरिष्ठता-पदो0)2015 दिनाँक 23-07-2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। परन्तु फिर भी मेरे समक्ष कतिपय इस प्रकार के दृष्टान्त सामने आ रहे हैं कि पुलिस विभाग के कर्मियों द्वारा अभी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँकित 17 7 1991 को संतोषजनक सेवा निर्धारण का आधार बनाकर लाभ प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालयों में निर्देश याचिकाएं/रिट याचिकाएं योजित की जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

ज्ञातब्य हो कि उ0प्र0 शासन द्वारा कार्मिकों के संतोषजनक सेवा निर्धारण हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, उन्हीं का अनुपालन पुलिस विभाग में किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-5/1-551-02 दिनाँकित 11-07-1991 जो वर्तमान परिवेश में निष्प्रभावी हो चुका है, को समाप्त करते हुये आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों के सन्तोषजनक सेवा निर्धारण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही करें तथा विभाग एवं उ0प्र0शासन का पक्ष प्रभावी ढंग से मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत कराएं।

9.6

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
4-सदस्य सचिव, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
5-पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
6-मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ।
7-वरिष्ठ प्रस्तुत कर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ।